झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण, 1937 (श०)

संख्या 534 राँची, गुरुवार,

23 जुलाई, 2015 (ई०)

विधि (न्याय) विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई, 2015

संख्या-एल0जी0-16/2015-37/लेज0-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक 8 जुलाई, 2015 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाषित किया जाता है ।

<u>झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2015</u>

(झारखण्ड अध्यादेश, 02, 2015)

प्रस्तावना:- चूँकि झारखण्ड विधान मंडल सत्र में नहीं और चूँकि झारखण्ड राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विदमान है, जिसके कारण झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में आगे वर्णित रिति से संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ।

इसलिए अब भारत का संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अध्यादेश झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा-25 i में उपधारा- 25 i (ख) एवं 25 i (ग) निम्नरूपेण जोड़ा जाना है :-

''25 i (ख) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्रधानाचार्य, प्राध्यापक तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति जैसा परिनियम के संबंधित अनुच्छेद में विहित हो के अनुसार विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा के आधार पर कुलपति द्वारा की जायेगी ।''

''25 i (ग) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारी (या ग्रेड वेतन के अनुसार) की नियुक्ति जैसा परिनियम के संबंधित अनुच्छेद में विहित हो के अनुसार विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा के आधार पर कुलपति द्वारा की जायेगी ।''

द्रौपदी मुर्मू ,
झारखण्ड राज्यपाल

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

15 जुलाई, 2015

संख्या-एल0जी0-16/2015-38/लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2015 को अनुमत **झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2015** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Agriculture University (Amendment) Ordinance-2015

(Jharkhand Ordinance, 02, 2015)

Preamble:-Whereas, the legislative Assembly of the State of Jharkhand is not in session.

And whereas, the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the Jharkhand Agriculture University Act-2000 (adopted) as the manner herein after appearing:-

Now, therefore, in the exercise of power conferred by clause (1) of Article, 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Chapter-I

Commencement

1. Short title, extent and commencement:-

(i) This Ordinance may be called Jharkhand Agriculture University (Amendment) Ordinance, 2015.

(ii) It shall come into force at once.

(iii) It shall extend to the whole of the State of the Jharkhand.

2. Addition of the sub- section 25. i (b) and 25. i (c) in section 25 (i) of the Jharkhand Agriculture University act- 2000(adopted). In section 25, for the following clauses is added as subsection:-

"i (b) The appointment to the post of Assistant Professors, Associate Professors and University Professors in the University & Colleges and Officers of the University & Colleges shall be done by Vice-Chancellor against the legitimately sanctioned post after Selection and Recommendation by Jharkhand Public Service Commission as prescribed in statutes".

"i (c) The appointments of Grade-3 (or as grade pay) shall be done by Vice-Chancellor against the legitimately sanctioned post after selection and recommendation by Jharkhand Staff Selection Commission as prescribed in statutes."

Draupadi Murmu,
Governor of Jharkhand
By order of the Governor of Jharkhand,
B.B. Mangalmurti,
Secretary-cum-L.R.
Law (Judicial) Department,
Govt. of Jharkhand, Ranchi.

अधीक्षक झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
झारखण्ड गजट (असाधारण) 534-50 ।